<u>न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन</u>
<u>जिला चित्तौडगढ</u>
<u>पीठासीन अधिकारी अर्चना बुगालिया (आर0ए0एस0)</u>

प्रकरण संख्या / 18 / 2013 दायर दिनांक 25.06.2013

उनवान

1. कंचन पुत्री कन्हैयालाल जाति बारेगामा ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी बुद्धाखेडा, तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।

—अपीलान्ट

बनाम

1. राजमल पिता कन्हैयालाल जाति बारेगामा ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी बुद्धाखेडा, तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
2. आशा पुत्री बंशीलाल जाति बारेगामा ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी कपासन, तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
3. सीमा पुत्री बंशीलाल जाति बारेगामा ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी कपासन, तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
4. आरती पुत्री बंशीलाल जाति बारेगामा ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी कपासन, तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
5. गोवर्धन लाल पिता नानुराम जाति बारेगामा ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी कपासन, तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
6. रमेश पिता नानुराम जाति बारेगामा ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी बुद्धाखेडा, तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
7. चन्द्र प्रकाश पिता नानुराम जाति बारेगामा आयु वयस्क निवासी बुद्धाखेडा, तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
8. गोपाल पिता भोजराज जाति बारेगामा ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी बुद्धाखेडा, तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
9. ओमप्रकाश पिता मांगीलाल जाति बारेगामा आयु वयस्क निवासी बोरदा।
10. पृथ्वीराज पिता चुन्नी लाल जाति बारेगामा ब्राहम्ण निवासी बुद्धाखेडा, तहसील कपासन मृत्तक के बजाय—

    10 / 1— राधा पिता पृथ्वीराज बारेगामा आयु वयस्क निवासी बुद्धाखेडा तहसील कपासन।

    10 / 2— रूकमण पिता पृथ्वीराज बारेगामा आयु वयस्क निवासी बुद्धाखेडा तहसील कपासन।
11. कमलेश पिता रामचन्द्र बारेगामा आयु वयस्क निवासी बुद्धाखेडा, तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
12. झमकलाल पिता रामचन्द्र जाति बारेगामा आयु वयस्क निवासी बुद्धाखेडा, तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
13. केदारमल पिता उंकार जाति बारेगामा आयु वयस्क निवासी बुद्धाखेडा, तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
14. पुष्पाबाई पिता उंकार लाल जाति बारेगामा आयु वयस्क निवासी कपासन, तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
15. सुशीला पिता उंकार लाल जाति बारेगामा आयु वयस्क निवासी कपासन, तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
16. शांतिदेवी पिता उंकार लाल जाति बारेगामा आयु वयस्क निवासी कपासन, तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।

Signature Not Verified
Digitally signed by Archana Bugalia
Date: 2024.03.08 11:35:41 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

17. इदिरा पिता उंकार लाल जाति बारेगामा आयु वयस्क निवासी कपासन, तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
18. भैरू लाल पिता नुन्दराम जाति बारेगामा आयु वयस्क निवासी कपासन, तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
19. गीता पत्नि नुन्दराम जाति बारेगामा आयु वयस्क निवासी कपासन, तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
20. ग्राम पंचायत दामाखेडा, जरिये सरपंच ग्राम पंचायत दामाखेडा तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
21. तहसीलदार, तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज0)।

—रेस्पोडेन्टगण

<u>अपील अन्तर्गत धारा 75 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट अपील विरूद्ध</u>

<u>आदेश ग्राम पंचायत दामाखेडा नामान्तरण सं 37, दिनांक 24.05.1971</u>

निर्णय दिनांकः 13.02.2024

—: निर्णय :—

अपीलान्ट ने अपील अन्तर्गत धारा 75 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट के इस आशय का प्रस्तुत की कि अपीलान्ट ग्राम बुद्धाखेडा तहसील कपासन की रहने वाली होकर यही निवास करती है। व अपीलान्ट के विरासत के पारिवारिक सजरा प्रस्तुत किया।

यह कि सजरे अनुसार प्रार्थीया के पिता कन्हैयालाल के नाम की आराजीयात ग्राम बुद्धाखेडा हल्के बैरूनी में स्थित है। जिसके साबिक आराजी नं0 57 रकबा तीन बीघा ग्यारह बिस्वा आराजी नं0 74 रकबा 12 बिस्वा, आ0सं0 75 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा, आ0सं0 106 रकबा एक बीघा दस बिस्वा, आ0सं0 216 रकबा दो बीघा 5 बिस्वा, आ0सं0 117 रकबा 14 बिस्वा, आ0सं0 155 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा आराजी संख्या 156 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा कुल किता 8 कुल रकबा 19 बिघा 12 बिस्वा साबिक दर्ज रेकार्ड में दर्ज है। इसके साथ ही आराजी नं0 160 रकबा 5 बिस्वा, आराजी सं0 162 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा थे प्रार्थीया अपीलान्ट के पिता की मृत्यु के विरासत का इन्तकाल पंचायत दामाखेडा द्वारा फैसल किया गया उसमें इन्तकाल की प्रविष्टी क्रमांक 11 पर मृत्तक के वारिसान का नाम अंकित किया गया उसमें अपीलान्ट का नाम नही जोडा गया जबकि अपीलान्ट मृत्तक की जायन्दा पुत्री होकर वैध उत्तराधिकारी है ग्राम पंचायत द्वारा रेस्पोडेन्ट्स नं0 एक, दो, तीन, चार के पिता द्वारा जानबूझकर मिला भगती कर अपीलान्टस को अपने हक अधिकार से वंचित रखने हेतु उत्तराधिकारियों में अपीलान्ट का नाम अंकित नहीं कराया तथा इन्तकाल नं0 37 फैसल दिनांक 24.05.1971 को विधि विरूद्ध फैसल कर ग्राम पंचायत दामाखेडा ने गम्भीर कानुनी भूल की है।

यह कि प्रार्थीया अपीलान्ट को अपना नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं होने की जानकारी तब हुई जब पटवारी हल्का कपासन व साबिक रेकार्ड रूम तहसील कपासन से प्राप्त करने पर हुई उसमें इन्तकाल की नकल साबिक जमाबन्दी प्राप्त कर, मिलान खसरा एवं वर्तमान जमाबन्दी प्राप्त कर अविलम्ब नामान्तरकरण को खारिज कराने हेतु अपील अन्दर मयाद पेश है।

यह कि साबिक रेकार्ड के अनुसार मृतक कन्हैयालाल के जायन्दा वारिस बंशीलाल व राजमल के नाम पर वर्तमान राजस्व रेकार्ड में नाम दर्ज है तथा बंशीलाल जो कि मेरा भाई है कि मृत्यु हो चुकी है उनके जीवित वारिस रेस्पोडेन्ट सं0 2 से 4 है तथा शेष रेस्पोडेन्ट सह खातेदारी होने से पक्षकार बनाये है। रेस्पोडेन्ट सं0 20 आवश्यक पक्षकार है तथा तहसीलदार सा0 भूमिधारी होने से पक्षकार बनाये गये है। सहखातेदार रामचन्द्र पिता

Signature Not Verified
Digitally signed by Archana Bugalia
Date: 2024.03.08 11:35:41 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उंकार लाल फौत हो जाने से उनके वारिस श्री कमलेश व झमकलाल को रेस्पोडेन्ट बनाया गया है।

यह कि प्रार्थीया अपीलान्ट ग्रामीण महिला कम पढी लिखी है। इस कारण से प्रार्थीया को पूर्व में जानकारी भी नहीं हुई किन्तु दिनांक 18.04.2013 को नकले प्राप्त होने पर जानकारी में आया इसलिए नामान्तरकरण को खारिज कराने हेतु अपील पेश करने का कारण हुआ जो निरन्तर जारी है।

यह कि इन्तकाल सं0 37 दिनांक 24.05.1971 को फैसल किया गया जिससे लेकर आज तक काफी लम्बा समय व्यतित हो गया इस विलम्ब को माफ करने हेतु धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से पेश है।

यह कि अपीलान्ट का साबिक रकबे में 19 बीघा बारह बिस्वा में अपीलान्ट का 1/3 हिस्सा बनता है तथा इन्तकाल में जमाबन्दी सं0 18 तथा 19 में 1/12 हिस्सा बनता है जिसके हिस्से अनुसार वर्तमान राजस्व रेकार्ड में दर्ज होना कानुनी प्रावधान है।
यह कि अपील अपीलान्ट स्वीकार करा अपीलान्ट का नाम हिस्से अनुसार नये इन्तकाल में दर्ज करा इन्तकाल नं0 37 दिनांक 24.05.1971 को निरस्त फरमाया जावें।

अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत दामाखेडा के आदेश व इन्तकाल सं0 37 दिनांक 24.05.1971 को निरस्त फरमाया जावें तथा नये इन्तकाल में अपीलान्ट का नाम हिस्से अनुसार दर्ज करने का आदेश फरमावें।

हमनें अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टगण को जरिये समन तलब किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20 बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से पूर्व में दिनांक 18.08.2022 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 9, 10/1, 10/2, 17 बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से पूर्व में दिनांक 04.10.2023 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से पूर्व में दिनांक 06.02.2024 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। वकील अपीलान्ट बहस अपील व धारा 5 मियाद अधिनियम पर सुनी गयी। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। नामान्तरकरण संख्या 37 दिनांक 24.05.1971 का अवलोकन किया। उक्त नामान्तरकरण में मृतक कन्हैयालाल के वारिसान बंशीलाल व राजमल का ही राजस्व रेकार्ड में अंकन किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है व अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर यह निर्णय लिया जाता है कि ग्राम पंचायत दामाखेडा द्वारा पारित आदेश बाबत इन्तकाल संख्या 37 दिनांक 24.05.1971 को अपास्त किया जाकर तहसीलदार कपासन को अपील इस आशय से रिमाण्ड की जाती है नियमानुसार विधि सम्मत कार्यवाही की जाकर मृतक कन्हैयालाल पिता शंकरलाल जाति बारेगामा के विधिक वारिसान की जांच कर सभी पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाकर नामान्तरण खोलने की कार्यवाही करे। तहसीलदार कपासन को निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Archana Bugalia
Date: 2024.03.08 11:35:41 IST
Reason: SelfAttested

(अर्चना बुगालिया)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official